

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली

आ.प्र.अ. (मू.प.) 35/2024

श्रीमती फूलवती (मृत) के माध्यम से विधिक प्रतिनिधिगण और अन्य

....अपीलार्थीगण

द्वारा: सुश्री काजल चंद्र और सुश्री प्रेरणा चोपड़ा,  
अधिवक्तागण

बनाम

श्री देवेन्द्र सिंह और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: कोई नहीं।

निर्णय की तिथि: 19 मार्च, 2024

कोरम:

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत सिंह अरोड़ा

निर्णय

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मनमोहन (मौखिक)

सि.वि. आ. 14849/2024 (छूट के लिए)

अनुज्ञात, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन।

तदनुसार, वर्तमान आवेदन का निपटान किया जाता है।

आ.प्र.अ. (मू.प.) 35/2024

1. वर्तमान अपील दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 ('1966 का अधिनियम') की धारा 10 के अंतर्गत सि.वा. (मू.प.) सं. 657/2017 में पारित दिनांक 18 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सि.प्र.सं.')

की धारा 151 के साथ पठित दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 ('डीएचसी नियम') के अध्याय IX नियम 6 के अंतर्गत अपीलार्थीगण द्वारा दायर अंतर.आ.सं. 8954/2023 को खारिज कर दिया था।

### ***संक्षिप्त तथ्य***

2. इस मामले में अपीलार्थीगण वादीगण हैं और प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण हैं। इस मामले में अपीलार्थीगण द्वारा घोषणा, विभाजन और स्थायी व्यादेश की मांग करते हुए सिविल वाद दायर किया गया है। इस मामले में पक्षकारगण स्वर्गीय श्री लो राम के पारंपरिक वंशज हैं, जिसकी दिनांक 14 मई, 2001 को निर्वसीयती मृत्यु हो गई थी और जो अपने पीछे कई अचल संपत्तियां छोड़ गया था।

2.1. उक्त वाद में मांगी गई राहत का प्रत्यर्थीगण ने इस आधार पर विरोध किया है कि वर्ष 1980 में मौखिक विभाजन किया गया था, जिस पर पक्षकारगण ने कार्रवाई की थी और उसके अनुसार, प्रत्यर्थीगण के पास अपनी-अपनी अचल संपत्तियों के हिस्से का कब्जा है। प्रत्यर्थीगण ने अभिवाक् किया कि विभाजन करने का यह तथ्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के महिपालपुर

गांव की राजस्व संपदा में स्थित खसरा नं. 509 और 462 वाली भूमि के संबंध में नामांतरण प्रविष्टि से साक्ष्यित होता है, जो तहसीलदार द्वारा पारित दिनांक 18 फरवरी, 2002 के नामांतरण आदेश के अंतर्गत प्रत्यर्थीगण के पक्ष में किया गया था। इसलिए, प्रत्यर्थीगण ने मौखिक विभाजन को प्रमाणित करने के लिए वाद में प्रमाण पेश करने के अपने अधिकार का दावा किया।

2.2. दिनांक 25 नवंबर, 2019 को वाद में मुद्दे विरचित किए गए और पक्षकारगण को विचारण के लिए रखा गया। विभाजन के अभिवचन के संबंध में मुद्दा संख्या (iv) के रूप में एक विशिष्ट मुद्दा विरचित किया गया था।

2.3. वादीगण के साक्ष्य अभिलिखित करने के चरण में, अपीलार्थीगण/वादीगण ने डीएचसी नियमों के अध्याय IX नियम 6 के अंतर्गत अंतर.आ.सं. 8118/2020 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया, जिसमें मौखिक विभाजन के कथित प्रतिवाद का विधि की दृष्टि से कोई महत्व न होने के अभिवचन पर निर्णय सुनाने की मांग की गई। उक्त आवेदन को विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27 जुलाई, 2022 के आदेश के अंतर्गत और उक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील<sup>1</sup> को खंड न्यायपीठ ने दिनांक 31 जनवरी, 2023 के आदेश के अंतर्गत खारिज कर दिया।

2.4. अपीलार्थीगण ने कहा कि दिनांक 18 फरवरी, 2002 के नामांतरण आदेश के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए अंतर.आ.सं. 8118/2020 को खारिज कर

---

<sup>1</sup> आ.प्र.अ.(मू.प.) सं. 109/2022

दिया गया था। यह कहा गया कि उक्त नामांतरण आदेश को वित्त आयुक्त द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2023 के आदेश के अंतर्गत अपास्त कर दिया गया है।

2.5. यह कहा गया है कि इस उत्तरवर्ती घटनाक्रम के प्रकाश में, अपीलार्थीगण ने डीएचसी नियमों के अध्याय IX नियम 6 के अंतर्गत एक नया आवेदन, अर्थात् अंतर.आ.सं. 8954/2023 दायर किया है, जिसमें एक बार फिर उनके पक्ष में निर्णय सुनाए जाने की मांग की गई है।

2.6. इस नए आवेदन को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18 दिसंबर, 2023 के आदेश के अंतर्गत इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसी प्रकार की राहत की मांग करते हुए दायर अंतर.आ.सं. 8118/2020 पहले ही खारिज किया जा चुका है।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश और एकल न्यायपीठ द्वारा पहले के अंतर.आ.सं. 8118/2020 को अस्वीकार करने का पूरा आधार दिनांक 18 फरवरी, 2002 के नामांतरण आदेश का अस्तित्व था; और उक्त आदेश को अपास्त करने के साथ, उक्त नामांतरण आदेश के आधार पर मौखिक विभाजन को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यर्थीगण की निर्भरता विचार हेतु शेष नहीं रहती। उनका कहना है कि चूंकि दिवंगत श्री लो राम के अचल संपत्तियों के स्वामित्व को स्वीकार किया गया है, इसलिए अपीलार्थीगण यहां विचारण की प्रतीक्षा किए बिना विभाजन के आदेश के हकदार हैं। उनका कहना है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थापित मौखिक विभाजन का

अभिवचन विधिक रूप से स्वीकार्य अभिवचन नहीं है और इसलिए, पूर्ण विचारण आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं है।

4. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख पुस्तिका और वाद अभिलेख का परिशीलन किया है।

5. वाद में मुद्दे दिनांक 25 नवंबर, 2019 को विरचित किए गए थे। प्रत्यर्थीगण द्वारा उद्धृत मौखिक विभाजन के प्रतिवाद को ध्यान में रखते हुए, वाद में मुद्दा संख्या (iv) को विशेष रूप से विरचित किया गया है। मुद्दों की विरचना के अनुसरण में, यहाँ अपीलार्थीगण ने दिनांक 21 जनवरी, 2020 को अपने चार साक्षियों के साक्ष्य शपथ-पत्र पहले ही दायर कर दिए हैं। यद्यपि, वाद के अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद, कोई साक्ष्य अभिलिखित नहीं किया गया क्योंकि यहाँ अपीलार्थीगण ने निर्णय सुनाने के लिए अंतर.आ. सं. 8118/2020 दायर करने का विकल्प चुना। उक्त आवेदन को दिनांक 27 जुलाई, 2022 के आदेश के अंतर्गत खारिज कर दिया गया और दिनांक 31 जनवरी, 2023 के निर्णय के अंतर्गत खंड न्यायपीठ द्वारा अपील में बरकरार रखा गया।

6. यद्यपि, अपीलार्थीगण ने, उपरोक्त खारिज किए जाने के बावजूद, साक्ष्य<sup>2</sup> अभिलिखित करने के लिए आगे न बढ़ने का विकल्प चुना और इसके बजाय वाद में अंतिम निर्णय की घोषणा की समान राहत की मांग करते हुए एक बार

<sup>2</sup> वाद कार्यवाही में दिनांक 30 मई, 2023 को आदेश पारित किया गया।

फिर अंतर.आ.सं. 8954/2023 दायर किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कई आधारों पर उक्त आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आधार भी शामिल है कि अंतर.आ.सं. 8118/2020 में मुकदमेबाजी के पहले दौर में राहत पहले ही खारिज की जा चुकी है। यहाँ अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है और प्रत्यर्थीगण को मौखिक विभाजन के अपने प्रतिवाद के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

7. हमारा यह मानना है कि वर्तमान अपील दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 ('1966 का अधिनियम') की धारा 10 के अंतर्गत संधार्य नहीं है। आक्षेपित आदेश सि.प्र.सं. के आदेश XLIII नियम 1 के अंतर्गत अपीलनीय नहीं है। अधिनियम 1966 की धारा 10 के अंतर्गत अपील को बनाए रखने के लिए, आक्षेपित आदेश को *शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी कनिया<sup>3</sup>* में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 'निर्णय' के मानदंडों को पूरा करना चाहिए। *जसविंदर सिंह बनाम मृगेंद्र प्रीतम विक्रमसिंह स्टेनर<sup>4</sup>* मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अधिनियम 1966 की धारा 10 के अंतर्गत किसी पक्षकार द्वारा दायर अपीलों पर उक्त मानदंड लागू किया गया है।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिवचनों और अभिलेखों के परिशीलन के बाद अपने विवेक का प्रयोग किया और यह राय दी कि प्रत्यर्थीगण दिनांक 25

<sup>3</sup> (1981) 4 एससीसी 8 (पैरा 114 और 115)

<sup>4</sup> 2012 एससीसी ऑनलाइन डेल 5506

नवंबर, 2019 को वाद में विरचित मुद्दों पर अपने प्रतिवाद के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निर्णय किसी भी पक्षकारगण के मामले के गुणागुण पर न्यायनिर्णयन नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश जो विचारण की निगरानी कर रहे हैं, उन्हें पक्षकारगण को अपने-अपने रुख के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार प्राप्त है। उक्त विवेकाधिकार का प्रयोग हस्तक्षेप योग्य नहीं है। आक्षेपित आदेश अपीलार्थीगण के किसी भी महत्वपूर्ण अधिकार को प्रभावित नहीं करता और किसी भी तात्कालिक मामले का निर्णय नहीं करता; और इसलिए, आक्षेपित आदेश निर्णय के परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। इस परिस्थिति को *शाह बाबूनाल खिमजी* (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में विशेष रूप से दर्शाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा आदेश 'निर्णय' की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा और यह केवल एक अंतरवर्ती आदेश है, जिसके विरुद्ध अपील संधार्य नहीं होगी। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

“113. ....

.....

(3) *मध्यवर्ती या अंतर्वर्ती निर्णय*—..... इसी प्रकार के वाद में विपरीत मामले को लें, जहां विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी को वाद का प्रतिवाद करना अनुज्ञात करता है, जिस स्थिति में यद्यपि वादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु उसे होने वाली क्षति या पूर्वाग्रह प्रत्यक्ष या तत्काल नहीं अपितु न्यूनतम प्रकृति का होता है और बल्कि बहुत दूर होता है क्योंकि वादी के पास अभी भी यह दिखाने का पूरा अधिकार होता है कि प्रतिवाद झूठा है और वाद में सफल हो सकता है। इस प्रकार, विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसा आदेश पत्र पेटेंट के

खंड 15 के अर्थ के भीतर निर्णय नहीं माना जाएगा, किंतु यह पूर्ण रूप से एक अंतरिम आदेश होगा। ... "

9. इसके अलावा, मुद्दों की विरचना के चार वर्ष बाद अपीलार्थी द्वारा डीएचसी नियमों के अध्याय IX नियम 6 के प्रावधानों को लागू करने की मांग करने वाला अंतर्निहित आवेदन गलत है। साधारण पठन पर, उक्त नियम का उद्देश्य पक्षकार द्वारा वाद के शुरुआती चरणों में लागू किया जाना है जैसे (i) वाद की कार्यवाही की पहली सुनवाई में; या (ii) मुद्दों की विरचना के चरण में। वर्तमान मामले में, वर्ष 2019 में स्वयं पक्षकारगण ने यह समझा कि दावे और प्रतिवाद हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और तदनुसार आगे बढ़े। अंतर्निहित वाद वर्ष 2020 से वादी साक्ष्य अभिलिखित करने के चरण में बना हुआ है; हम वाद के अभिलेख के परिशीलन से पाते हैं कि अपीलार्थीगण कई तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उक्त उद्देश्य के लिए मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से अवलोकन किया है कि अंतर.आ.सं. 8954/2023 में मांगे गए आधार और राहत अंतर.आ.सं. 8118/2020 के समान हैं, जिसे भी खारिज कर दिया गया। वास्तव में, हमारा मानना है कि अंतर.आ.सं. 8954/2023 दायर करना विबंध के सिद्धांत के द्वारा वर्जित किया गया था, जो कि *के.के. मोदी बनाम के.एन. मोदी और अन्य*<sup>5</sup> में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित पुनः मुकदमेबाजी के सिद्धांत पर

<sup>5</sup> (1998) 3एससीसी 573



आधारित है। वित्त आयुक्त द्वारा दिनांक 06 अप्रैल, 2023 को 18 फरवरी, 2002 के नामांतरण आदेश को अपास्त करना, जिसका विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही से अवलोकन किया गया था, मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं किंतु तहसीलदार के क्षेत्राधिकार के अभाव के मुद्दे के कारण था। यद्यपि, सार्वजनिक अभिलेख में नामांतरण का पक्षकारगण के अधिकारों पर प्रभाव, यदि कोई हो, अंतिम न्यायनिर्णयन के चरण में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

11. तदनुसार हम पाते हैं कि वर्तमान अपील संधार्य नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

मार्च 19, 2024/आरएचसी/एचपी/एए

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।